

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- कल्याण पिता देबी गूजर निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- देउ पत्नी देबी गूजर निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- जमनी पुत्री देबी गूजर निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- बाली पुत्री देबी गूजर निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - वादी

बनाम

- 1- तहसीलदार तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा - प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार
एवं स्थायी निषेधाज्ञा सर्वकालीन एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर 80/2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 30 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा